राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांकः- F 50 (1) NHM/ QA/2016/ 164 दिनांकः- 16/11/16

कार्यालय आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राजकीय स्वास्थ्य सुविधाओं पर गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम (Quality Assurance) हेतु सहायता एवं सुगमता के लिए प्रतिबद्ध है जोकि राष्ट्र में जनस्वास्थ्य तंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करे। प्रस्तावित Quality Assurance कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले रोगियों में संतुष्टि स्तर को बढ़ाना है एवं उनमें विश्वास जगाना है। यह मुख्यतया उन क्रियाकलापों को सम्मिलित करता है जिसमें गुणवत्ता मापदण्डों का निर्धारण एवं मापदण्डों के अनुरूप सेवाओं का मुल्यांकन एवं गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि सेवाओं को प्रभावी एवं सुरक्षित बनाया जा सके।

गुणवत्ता आश्वासन क्रियाकलापों की सुदृढ़ता के लिए हर स्तर पर भूमिका एवं दायित्वों के निर्धारण की आवश्यकता है। जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर दिनांक 15.01.2013 के कार्यालय आदेश 17838 तथा कार्यालय आदेश 82 दिनांक 05.02.2015 के क्रम में राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति कि संरचना की गयी जिसमें संशोधन करते हुए समिति की संरचना निम्नानुसार है।

(अ) राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति (State Quality Assurance Committee (SQAC) : इस समिति की व्यापक जिम्मेदारी राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यभर में गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों की निगरानी, विभिन्न महत्वपूर्ण संकेतक के नियमित और सही रिर्पोटिंग सुनिश्चित करने की रहेगी। समिति का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (अध्यक्ष)।
2. मिशन निदेशक, एनएचएम (उपाध्यक्ष)।
3. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निदेशक परिवार कल्याण (आर.सी.एच.)/निदेशक जनस्वास्थ्य (संयोजक)।
5. स्टेट नोडल ऑफिसर क्वालिटी अश्योरेंस (सदस्य सचिव)।
6. निदेशक चिकित्सा शिक्षा।
7. निदेशक - SIHFW।
8. एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. एक पेनलबद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ (राजकीय संस्था से)।
10. एक पेनलबद्ध सर्जन (राजकीय संस्था से)।
11. एक निश्चेतक विशेषज्ञ (राजकीय संस्था से)।
12. एक शिशु रोग विशेषज्ञ (राजकीय संस्था से)।
13. एक मेडीसीन स्पेशलिस्ट (राजकीय संस्था से)।

kayakalp.raj@gmail.com

14. एक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल।
15. एक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पीएचसी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सब डिविजनल चिकित्सालय।
16. एक नर्सिंग सलाहकार (समकक्ष)।
17. एक प्रतिनिधि प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल/एनजीओ (हेल्थकेयर सेक्टर)।
18. एक प्रतिनिधि लीगल सैल।
19. एक प्रतिनिधि चिकित्सा पेशेवर निकाय–FOGSI/IMA/IAP/IAPSM/ जनस्वास्थ्य संघ।
20. एक प्रतिनिधि–यूनिसेफ/यूएनएफपीए ।
21. एनयूएचएम द्वारा मनोनित सदस्य।

नियम व शर्त

राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति, नितीगत निर्णयों के लिए एक निकाय है। यह गुणवत्ता आश्वासन की सफलता एवं कमियों के लिए जिम्मेदार है। राज्य स्तर समितियों की प्राथमिक भूमिका समग्र मार्गदर्शन, सलाह और जिलों में गुणवत्ता आश्वासन के प्रयासों की निगरानी है। उक्त समिति के निम्न कार्य है :–

1. राज्य के लिए गुणवत्ता आश्वासन नीतियों और दिशा निर्देश का निर्धारण।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से देखभाल की गुणवत्ता के लिए मानक प्राप्ति सुनिश्चित करना।
3. राज्य/जिला स्तर इकाईयों का मुल्यांकन।
4. गुणवत्ता आश्वासन क्रियाकलापों की आवधिक समीक्षा।
5. मुआवजों एवं दावों की समीक्षा।
6. गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया का समर्थन।
7. गुणवत्ता के सूचकांकों की समीक्षा।
8. रिर्पोटिंग।

पांच सदस्यीय राज्य परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप समिति

उप समित में निम्नलिखित का समावेश होता है :–

1. मिशन निदेशक, एनएचएम (अध्यक्ष)।
2. निदेशक परिवार कल्याण/निदेशक जनस्वास्थ्य (संयोजक)।
3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक परिवार कल्याण (सदस्य सचिव)।
4. एक पेनलबद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ (राजकीय संस्था से)।
5. एक पेनलबद्ध सर्जन (राजकीय संस्था से)।

राज्य परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप समिति निम्न कार्य करेगी :–

1. निवारण निपटाने और दावे चुकाना।
2. जिला स्वास्थ्य उप समिति द्वारा प्राप्त शिकायतो एवं दावों का निस्तारण करना।

ब) राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई (State Quality Assurance Unit (SQAU) – राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई, राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति के सहयोग के लिए कार्य करेगी। जिसकी अध्यक्षता SQAC सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी। जिसकी संरचना निम्नानुसार है :–

1. स्टेट नोडल ऑफिसर क्वालिटी अश्योरेंस (सदस्य सचिव SQAC)।
2. स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर (परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/टीकाकरण/आर.बी.एस.के. एवं NVBDCP / IDSP / NPCB / NMHP / NPHCE / NTPC / NPCDCS / RNTCP / NPPCD / NOHP / NPPCF / NIDDCP / NLEP एवं समस्त संचालित कार्यक्रम।
3. राज्य सलाहकार (पब्लिक हैल्थ)।
4. राज्य सलाहकार (क्वालिटी अश्योरेंस)।
5. राज्य सलाहकार (क्वालिटी मॉनिटरिंग)।
6. प्रोग्राम असिसटेंट।
7. डेमोग्राफर।
8. एनयूएचएम द्वारा मनोनीत सदस्य।

राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई के नियम व शर्तें निम्नानुसार है :–

1. रोग नियंत्रण कार्यक्रम/RMNCHA+ सेवाओं के लिए चैक लिस्ट का निर्धारण।
2. चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य संस्था के प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन के लिए योजना का विकास करना।
3. राज्य स्तर पर मूल्यांकन, गुणवत्ता मानको पर जिला स्तर गुणवत्ता आश्वासन इकाईयों को मूल्यांकन और सुधार के लिए प्रयास करना। इस हेतु एनएचएसआरसी की गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग की सहायता ली जा सकती है।
4. गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों व पद्धित का जिला एवं उप जिला स्तर तक प्रसार।
5. राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई और कार्यक्रम अधिकारियों के सदस्यों द्वारा जिलों को स्वतंत्र और संयुक्त यात्राओं के लिये योजना का विकास करना।
6. यात्राओं के बाद रिपोर्ट एवं सिफारिशे तैयार करना।
7. सुविधाओं में गुणवत्ता सुधार के उपायों को जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा लागू करना।
8. संकलित और KPI पर जिलों से प्राप्त मासिक डेटा, विशेष रूप से मातृ, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रतिकूल परिणामों/जटिलताओं के मामलों से संबंधित डेटा संकलित करना और SQAC सदस्यों के साथ इसे साझा और SQAC बैठक में चर्चा की जाना ।
9. SQAC के अध्यक्ष द्वारा पुष्ठि के बाद केंद्र को नसबंदी से संबंधित संकेतक (मृत्यु, जटिलताओं, विफलताओं) पर नियमित रूप से रिपोर्ट भेजें ।
10. SQAU सदस्यों द्वारा किए गए दौरा एवं जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के कार्यन्वयन/राज्य में मुआवजे के भुगतान की समीक्षा करना।

उक्त राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति तथा राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई की बैठक क्रमशः प्रत्येक 6 माह तथा प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जानी है। भविष्य में निश्चित समयावधि में समिति तथा इकाई की बैठकों का आयोजन करना सुनिश्चित करें।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि :

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
3. मिशन निदेशक, एनएचएम।

kayakalp.raj@gmail.com

4. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निदेशक – जन स्वास्थ्य/आरसीएच।
6. निदेशक – SIHFW।
7. निदेशक एड्स।
8. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम।
9. परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य।
10. परियोजना निदेशक टीकाकरण।
11. परियोजना निदेशक प.क.।
12. परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य।
13. परियोजना निदेशक आर.बी.एस.के.।
14. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा।
15. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
16. अतिरिक्त/संयुक्त/उपनिदेशक परिवार कल्याण।
17. अधीक्षक एस.एम.एस.।
18. अधीक्षक जयपुरिया चिकित्सालय।
19. अधीक्षक जनाना अस्पताल।
20. अधीक्षक हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय।
21. अधीक्षक नारायणा हृदयालय।
22. अधीक्षक फोर्टिस अस्पताल।
23. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनआरएचएम।
24. राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी।
25. राज्य टी.बी. अधिकारी।
26. स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर :– NVBDCP / IDSP / NPCB / NMHP / NPHCE / NTPC / NPCDCS / NPPCD / NOHP / NPPCF / NIDDCP एवं समस्त संचालित कार्यक्रम।
27. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य/ शिशु स्वा./प.क./टीकाकरण।
28. डेमोग्राफर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
29. लीगल सैल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
30. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
31. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
32. समस्त सीएचसी / पीएचसी/सब डिविजनल चिकित्सालय।
33. प्रतिनिधि चिकित्सा पेशेवर निकाय–FOGSI/IMA/IAP/IAPSM/ जनस्वास्थ्य संध।
34. प्रतिनिधि–यूनिसेफ/यूएनएफपीए।
35. सलाहकार – आईटी सम्बन्धित को ईमेल हेतु।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

kayakalp.raj@gmail.com